

**बिहार सरकार**  
**उद्योग विभाग**  
**आदेश**

सरकारी राशि की निकासी कर लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं कर कोषागार में जमा करने एवं ससमय आवंटित राशि खर्च नहीं करने के साथ-साथ डी0सी0 विपत्र जमा नहीं करने के आरोप पर पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया था।

जिन पदाधिकारियों ने स्पष्टीकरण अभी तक समर्पित नहीं किया है उसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	स्पष्टीकरण का विभागीय पत्रांक एवं दिनांक
1.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज	439 / 18.01.19
2.	श्री चन्दन कुमार घोष, सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), कम्बाइंड बिल्डिंग, भागलपुर	442 / 18.01.19
3.	श्री रामनन्दन सिंह, सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), कम्बाइंड बिल्डिंग, मुजफ्फरपुर	443 / 18.01.19
4.	श्री प्रणय कुमार, अग्र परियोजना पदाधिकारी, श्याम बाजार, बांका	445 / 18.01.19
5.	श्री प्रकाश चौधरी, अग्र परियोजना पदाधिकारी, गंगटामोड़, मुंगेर	446 / 18.01.19
6.	श्री निर्मल किशोर झा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, पता- 503, शीला रीजेन्सी अपार्टमेन्ट, शीला विवाह भवन के निकट, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर, पिन- 812001	561 / 23.01.19
7.	श्री उमेश कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना	562 / 23.01.19
8.	श्री शिशुकान्त मिश्र, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	563 / 23.01.19
9.	श्री मकेश्वर द्विवेदी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी	564 / 23.01.19
10.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, तकनीकी पर्यवेक्षक, प्रतिनियुक्त स्थान- बिहार राज्य वित्तीय निगम, फ्रेजर रोड, पटना	565 / 23.01.19
11.	श्री खुर्शीद अहमद, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद	566 / 23.01.19
12.	श्री रतन कुमार, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, पता- श्री भगवान पैलेस (ए0पी0टी0), 103, सिद्धेश्वर नगर, पोस्ट- पाटलीपुत्रा, पटना-13	567 / 23.01.19
13.	श्री मनोज रंजुन श्रीवास्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान	568 / 23.01.19
14.	श्री नागेन्द्र शर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमुर	570 / 23.01.19
15.	श्री कृष्ण कुमार भारती, निलंबित महाप्रबंधक, मुख्यालय- जिला उद्योग केन्द्र, पटना	571 / 23.01.19
16.	श्री मनोज वर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा	572 / 23.01.19

उक्त सभी सेवानिवृत्त/वर्तमान पद पर कार्यरत/तत्कालीन महाप्रबंधक/ प्रभारी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि दो दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा यह माना जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और प्रतिवेदित आरोप के लिए आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:- 794  
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)02/19

प्रतिलिपि:-उक्त सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(अनिल कुमार झा)  
सरकार के अवर सचिव  
पटना, दिनांक:- 04.02.19

सरकार के अवर सचिव